



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

क्रमांक / 1462 / रा.नि.का. / 2015
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 31 / 10 / 2015

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 (नया रा.रा.कं. 49) बिलासपुर-रायगढ़-ओड़िसा सीमा तक का दो-लेन चौड़ीकरण मय पेव्हड़ शोल्डर निर्माण कार्य के अंतर्गत वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु राजस्व वन भूमि प्रत्यावर्तन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज मार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 790,786,795,792,796/ N.H.D.P.CELL / मु. आ./रा.रा./5-5/2011/वन रायपुर दिनांक 11.2.2015 एवं ज्ञाप क्रमांक 2068/NHDP-Cell/मु.अ./रा.रा./5-52011/वन रायपुर दिनांक 01.10.2015

---00---

विषयांतर्गत मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 बिलासपुर-रायगढ़-ओड़िसा सीमा तक का NHDP-IV योजना दो-लेन मय पेव्हड़ शोल्डर सहित उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत अनुविभाग रायगढ़ के ग्राम कोसमनारा, झलमला, मिडमिड़ा बड़माल एवं प्रस्तावित रायगढ़ बाईपास हेतु डोंगीतराई, हरदीझरिया, चारभांठा, देवरी, काशीचुंवा, बनहर, गेजामुड़ा, रामपुर छोटे, बघनपुर, धनागर, जोरापाली, अमलीभौना एवं अनुविभाग खरसिया के ग्राम पलगढ़ा, बरगढ़, उल्दा, पतरापाली, आमाडोल, बोतल्दा, जामझोर, चोढ़ा, बानीपाथर, रानीसागर, चपले एवं प्रस्तावित रायगढ़ बाईपास निर्माण हेतु कनमुरा सेन्द्रीपाली, रक्शापाली, लोढ़ाझर, नवापारा कीरितमाल स्थित गैर खाते की राजस्व वन भूमि कुल रकबा 3.323 हे. गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गई है।

प्रश्नाधीन भूमि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं खरसिया के प्रतिवेदन अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) दिया जाता है, जो निम्नानुसार है :-

क्रं.	अनुविभाग का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रभावित रकबा हे.मे. छोटे/बड़े झाड़ जंगल की भूमि
1	रायगढ़	कोसमनारा	20/2	0.382 छोटे झाड़ के जंगल
2	—" —</td <td>झलमला</td> <td>-</td> <td>निरंक</td>	झलमला	-	निरंक
3	—" —</td <td>मिडमिड़ा</td> <td>-</td> <td>निरंक</td>	मिडमिड़ा	-	निरंक
4	—" —</td <td>बड़माल</td> <td>-</td> <td>निरंक</td>	बड़माल	-	निरंक
5	—" —</td <td>डोंगीतराई</td> <td>-</td> <td>निरंक</td>	डोंगीतराई	-	निरंक
6	—" —</td <td>हरदीझरिया</td> <td>-</td> <td>निरंक</td>	हरदीझरिया	-	निरंक

7	—''—	चारभांटा	309/1	1.261 छोटे झाड़ के जंगल
8	—''—	देवरी	73 94	0.069 छोटे झाड़ के जंगल 0.328 छोटे झाड़ के जंगल
9	—''—	काशीचुंवा	-	निरंक
10	—''—	बनहर	-	निरंक
11	—''—	गेजामुड़ा	-	निरंक
12	—''—	रामपुर छोटे	-	निरंक
13	—''—	बघनपुर	268	0.270 छोटे झाड़ का जंगल
14	—''—	धनागर	75	0.206 छोटे झाड़ का जंगल
15	—''—	जोरापाली	—	निरंक
16	—''—	अमलीभौना	121	0.807 छोटे झाड़ का जंगल
1	खरसिया	पलगढ़ा	—	निरंक
2	—''—	बरगड़	—	निरंक
3	—''—	उल्दा	—	निरंक
4	—''—	पतरापाली	—	निरंक
5	—''—	आमाडोल	—	निरंक
6	—''—	बोतल्दा	—	निरंक
7	—''—	जामझोर	—	निरंक
8	—''—	चोढ़ा	—	निरंक
9	—''—	बानीपाथर	—	निरंक
10	—''—	रानीसागर	—	निरंक
11	—''—	चपले	—	निरंक
12	—''—	कनमुरा	—	निरंक
13	—''—	सेन्द्रीपाली	—	निरंक
14	—''—	रक्शापाली	—	निरंक
15	—''—	लोढ़ाझर	—	निरंक
16	—''—	नवापारा	—	निरंक
17	—''—	किरितमाल	—	निरंक
कुल योग				3.323

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं खरसिया से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रश्नाधीन भू-खण्ड छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को गैरवानिकीय प्रयोजन/व्यपवर्तन कर उपयोग में लाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति (NOC) भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग)

पृ. क्रमांक / 1462A / रा.नि.का. / 2015
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक 31 / 10 / 2015

1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय ^{शुभम}परिक्षेत्र, रायपुर को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रा.रा. मंडल, बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. कार्य ~~वाहन~~ अभियंता रा.रा. संभाग NHDP-PIU, लो.नि.वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1463 / रा.नि.का. / 2015
प्रति,

संशोधित
रायगढ़ दिनांक 31 / 10 / 2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाले राजस्व वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 से प्रावधान अनुसार प्रदर्श 'स' प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज मार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 790,786,795,792,796/ N.H.D.P.CELL / मु. आ./रा.रा./5-5/2011 / वन रायपुर दिनांक 11.2.2015 एवं ज्ञाप क्र. 2068/NHDP-Cell/मु.अ./रा.रा./5-5/2011 / वन रायपुर दिनांक 01.10.2015

—00—

विषयांतर्गत मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परिक्षेत्र, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 बिलासपुर-रायगढ़-ओड़िसा सीमा तक का NHDP-IV योजना दो-लेन मय पेव्डड शोल्डर सहित उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल के अन्तर्गत अनुविभाग रायगढ़ के ग्राम कोसमनारा, झलमला, मिडमिड़ा, बड़माल एवं प्रस्तावित रायगढ़ बाईपास हेतु डोंगीतराई, हरदीझरिया, चारभाटा, देवरी, कांशीचुंआ, बनहर, गेजामुड़ा, रामपुर छोटे, बघनपुर धनागर, जोरापाली, अमलीभौना एवं अनुविभाग खरसिया के ग्राम पलगढ़ा, बरगढ़, उल्दा, पतरापाली, आमाडोल, बोटल्दा, जामझोर, चोढ़ा, बानीपाथर, रानीसागर, चपले एवं प्रस्तावित रायगढ़ बाईपास निर्माण हेतु कनमुरा, सेन्द्रीपाली, रक्शापाली, लोढाझर, नवापारा, किरितमाल स्थित गैर खाते की राजस्व वन भूमि कुल रकबा 3.323 हे. एवं वन विभाग की भूमि आर. एफ./पी.एफ. कुल रकबा 7.367 हे. गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व एवं वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम प्रावधान के तहत प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त पत्र अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ एवं खरसिया से उपरोक्तानुसार प्रदर्श "स" में प्रमाण पत्र लिया गया।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं खरसिया के प्रमाण पत्र अनुसार प्रदर्श "स" संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक / 1463A / रा.नि.का. / 2015
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक 31 / 10 / 2015

1. सचिव, छ.ग. शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परिक्षेत्र, रायपुर को सूचनार्थ।



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

संशोधित

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मुख्य अभियंता लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 बिलासपुर-रायगढ़-ओड़िसा सीमा सेक्शन के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु रायगढ़ वनमंडल के अनुविभाग रायगढ़ के ग्राम कोसमनारा, झलमला, मिडमिड़ा, बड़माल एवं प्रस्तावित रायगढ़ बाईपास हेतु डोंगीतराई, हरदीझरिया, चारभांटा, देवरी, कांशीचुंआ, बनहर, गोजामुड़ा, रामपुर छोटे, बघनपुर, धनागर, जोरापाली, अमलीभौना एवं अनुविभाग खरसिया के ग्राम पलगढ़ा, बरगढ़, उल्दा, पतरापाली, आमाडोल, बोटल्दा, जामझोर, चोढ़ा, बानीपाथर, रानीसागर, चपले एवं रायगढ़ बाईपास निर्माण हेतु कनमुरा, सेन्द्रीपाली, रक्शापाली, लोढ़ाझर, नवापारा, किरितमाल स्थित गैर खाते की राजस्व वन भूमि कुल रकबा 3.323 हे. गैरवानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली राजस्व वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं खरसिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है :-

1- कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में निहित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि अनुविभाग रायगढ़ स्थित ग्राम कोसमनारा, झलमला, मिडमिड़ा, बड़माल एवं प्रस्तावित बाईपास हेतु डोंगीतराई, हरदीझरिया, चारभांटा, देवरी, कांशीचुंआ, बनहर, गोजामुड़ा, रामपुर छोटे, बघनपुर, धनागर, जोरापाली, अमलीभौना तथा अनुविभाग खरसिया के ग्राम पलगढ़ा, बरगढ़, उल्दा, पतरापाली, आमाडोल, बोटल्दा, जामझोर, चोढ़ा, बानीपाथर, रानीसागर, चपले एवं बाईपास निर्माण हेतु कनमुरा, सेन्द्रीपाली, रक्शापाली, लोढ़ाझर, नवापारा, किरितमाल स्थित गैर खाते की भूमि कुल रकबा 3.323 हे. है। इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, जो निम्नानुसार है:-

अनुविभाग रायगढ़

क्र.	ग्राम का नाम	छोटे/बड़े झाड़ का	प्रभावित खसरा	प्रभावित रकबा (हे.)में	आर. एफ./ पी.एफ	प्रभावित रकबा(हे.)
1	कोसमनारा	छोटे झाड़ के जंगल	20/2	0.382	निरंक	निरंक
2	झलमला	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	मिडमिड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	850, 851- पी. एफ.	0.543
4	बड़माल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	डोंगीतराई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	हरदीझरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	चारभांटा	छोटे झाड़ के जंगल	309/1	1.261	निरंक	निरंक
8	देवरी	छोटे झाड़ के जंगल	73 94	0.069 0.328	निरंक	निरंक
9	कांशीचुंआ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10	बनहर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11	गोजामुड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12	रामपुर छोटे	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13	बघनपुर	छोटे झाड़ के जंगल	268	0.270	निरंक	निरंक
14	धनागर	छोटे झाड़ के जंगल	75	0.206	निरंक	निरंक
15	जोरापाली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16	अमलीभौना	छोटे झाड़ के जंगल	121	0.807	निरंक	निरंक

अनुविभाग खरसिया

क्र.	ग्राम का नाम	छोटे/बड़े झाड़ का जंगल	प्रभावित खसरा	प्रभावित रकबा हे. में	आर. एफ./ पी. एफ.	प्रभावित रकबा (हे.में)
1	पलगढ़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2	बरगड़	निरंक	निरंक	निरंक	1143-आर.एफ. 1160, 1167-पी. एफ. 1147-आर.एफ. 1166-पी.एफ.	0.100 1.480 0.138 2.858
3	उल्दा	निरंक	निरंक	निरंक	1147-आर.एफ.	0.379
4	पतरापाली	निरंक	निरंक	निरंक	1147-आर.एफ.	0.105
5	आमाडोल	निरंक	निरंक	निरंक	1148-आर.एफ.	0.699
6	बोतल्दा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	जामझोर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	चोढ़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9	बानीपाथर	निरंक	निरंक	निरंक	1163-पी.एफ.	1.065
10	रानीसागर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11	चपले	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12	कनमुरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13	सेन्द्रीपाली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14	रक्शापाली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15	लोढ़ाझर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16	नवापारा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17	किरितमाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2- प्रस्तावित राजस्व वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :-

अनुविभाग रायगढ़

क्र.	ग्राम का नाम	आर. एफ./पी. एफ.	राजस्व भूमि/वन विभाग की भूमि में वन अधिकार मान्यता हक पत्र धारक का नाम	ग्राम का रकबा (हे.) में
1	कोसमनारा	निरंक	निरंक	निरंक
2	झलमला	निरंक	निरंक	निरंक
3	मिडमिडा	850, 851- पी.एफ.	निरंक	0.543
4	बड़माल	निरंक	निरंक	निरंक
5	डोंगीतराई	निरंक	निरंक	निरंक
6	हरदीझरिया	निरंक	निरंक	निरंक
7	चारभांठा	निरंक	निरंक	निरंक
8	देवरी	निरंक	निरंक	निरंक
9	कांशीचुंआ	निरंक	निरंक	निरंक
10	बनहर	निरंक	निरंक	निरंक
11	गेजामुड़ा	निरंक	निरंक	निरंक
12	रामपुर छोटे	निरंक	निरंक	निरंक
13	बघनपुर	निरंक	निरंक	निरंक
14	धनागर	निरंक	निरंक	निरंक
15	जोरापाली	निरंक	निरंक	निरंक
16	अमलीभौना	निरंक	निरंक	निरंक


अनुविभाग खरसिया

क्र.	ग्राम का नाम	आर. एफ./पी. एफ.	राजस्व भूमि/वन विभाग की भूमि में वन अधिकार मान्यता हक पत्र धारक का नाम	ग्राम का रकबा (हे.) में
1	पलगढ़ा	निरंक	निरंक	निरंक
2	बरगड़	1143-आर.एफ. 1160, 1167-पी. एफ. 1147-आर.एफ. 1166-पी.एफ.	निरंक	0.100 1.480 0.138 2.858
3	उल्दा	1147-आर.एफ.	निरंक	0.379
4	पतरापाली	1147-आर.एफ.	निरंक	0.105
5	आमाडोल	1148-आर.एफ.	निरंक	0.699
6	बोतल्दा	निरंक	निरंक	निरंक
7	जामझोर	निरंक	निरंक	निरंक

8	चोड़ा	निरंक	निरंक	निरंक
9	बानीपाथर	1163-पी.एफ.	निरंक	1.065
10	रानीसागर	निरंक	निरंक	निरंक
11	चपले	निरंक	निरंक	निरंक
12	कनमुरा	निरंक	निरंक	निरंक
13	सेन्द्रीपाली	निरंक	निरंक	निरंक
14	रक्शापाली	निरंक	निरंक	निरंक
15	लोड़ाझर	निरंक	निरंक	निरंक
16	नवापारा	निरंक	निरंक	निरंक
17	किरितमाल	निरंक	निरंक	निरंक

उपरोक्तानुसार राजस्व भूमि/वन भूमि में वन अधिकार हक पत्र प्रदाय नहीं किया गया है।

- 3- कि लिनियर प्रोजेक्ट होने से ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है।
- 4- कि ऐसे विलुप्त प्रायः जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिसका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 " की धारा 3 (1) (E) अंतर्गत विशेष कर संरक्षित रखना है।
- 5- कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।


 अलरमेलमंगई डी
 कलेक्टर
 एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
 जिला-रायगढ़ (छ.ग.)